

## कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।

क्रमांक- आदेश / 2021 /

दिनांक-18.10.2021

---:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आंशिक संशोधित कार्यालय-आदेश ::---

मैं सरिता धाकड, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-14 सपठित धारा-15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीमति नीतू भारद्वाज, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली के उपार्जित अवकाश पर होने से माह अक्टूबर 2021 की रिमाण्ड ड्यूटी बाबत पूर्व में जारी आदेश दिनांक 01.9.2021 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुये करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवायी हेतु सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या मुख्यालय पर नहीं होने की स्थिति में कॉलम संख्या-4 में अंकित दिनांक के लिए कॉलम संख्या-2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:

माह अक्टूबर 2021

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
01.	02.	03.	04
1	श्री विनीत कुमार मीना RJS	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	19 अक्टूबर 2021

नोट- उक्तांकित दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश क्रमांक 50 दिनांक 01.9.2021 यथावत रहेगा।  
निर्देश:-

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
4. अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर है तो वह अपने परिक्षेत्र से सम्बंधित उक्त कार्य करेंगे।

Sd/-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली

दिनांक- 18-10-21

क्रमांक- 34 B

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3. सम्बंधित अधिकारी सर्व श्री.....
4. अध्यक्ष, बार एसोसिएसन न्यायालय परिसर, करौली।
5. सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय करौली सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करे तथा जिला न्यायालय करौली की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।
2. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।
3. आदेश पत्रावली / नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली